उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या :61/सीपी 409/84-2-2013-सीपी 1/87 टीसी
लखनऊ: दिनांक : 28 अक्टूबर, 2013

**शुद्धिपत्र**

शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 70/29-8-2005-सीपी 1/87 टी.सी., दिनांक 14-2-2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) नियमावली, 2005 में प्रस्तर 9(4) निम्नवत अंकित है :-

'ऐसे अंशकालिक प्रधान को, जो कार्यरत जिला जज या अपर जिला जज हैं, विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग के प्रधान की संस्तुति पर उच्च न्यायालय द्वारा करायी जायेगी।'

उक्त प्रस्तर को निम्नानुसार पढ़ा जाय -

'ऐसे अंशकालिक प्रधान, जो कार्यरत जिला जज या अपर जिला जज हैं, के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग के प्रधान की संस्तुति पर उच्च न्यायालय द्वारा करायी जायेगी।'

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.2005 के शेष प्रस्तर यथावत रहेंगें। उक्त नियमावली इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,
मुरलीधर दुबे
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या-61/सीपी 409/84-2-2013- सीपी 1/87टीसी, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(4) निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(5) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता न्याय भवन, एफ ब्लाक, जनरल पूल आफिस काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
(6) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

.....2.....

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) अनु सचिव, समिति (सामान्य) अनुभाग-1, विधान सभा, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-655/27(प्र0वि0स0)/09, दिनांक 14.05.2010 द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रतिनहित विधायन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2010 के बिन्दु संख्या-4 की संस्तुति क्रम में सूचनार्थ।

(8) समस्त जिला उपभोक्ता फोरम, उ.प्र.। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in